मूल वाद में अन्तिम डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– विकास पंचोली (R.A.S.)

1. घनश्यामलाल पुत्र गुलाबजी जाति रावल आयु वयस्क निवासी बांगरेडा तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०

–वादी

बनाम

1. मदनलाल पुत्र पुत्र गुलाबजी जाति रावल आयु वयस्क निवासी बांगरेडा तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
2. भूमिधारी तहसीलदार साहब निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 ,88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम– 1955

प्रकरण आज दिनांक को वादी के अधिवक्ता श्री हस्तीमल सेठिया एवं प्रतिवादी नंबर 1 की ओर से अधिवक्ता बाबूलाल प्रजापत की उपस्थिति में अन्तिम बहस हेतु प्रस्तुत होने पर आदेश दिया जाता कि वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा–53,88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 पर्याप्त सबूतों के परिपेक्ष्य में स्वीकार किया जाता है तथा वादी का वाद कतई डिक्री किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेडा को आदेश दिया जाता है की विवादित भूमि मौजा बांगरेडा प०ह० बांगरेडा तह० निम्बाहेड़ा के आराजी नम्बर 903 रकबा 0.11 हक्टेयर भूमि, आराजी नम्बर 899/1 रकबा 0.0350 कुल किता 2 कुल रकबा 0.1450 हैक्टेयर भूमि वादी घनश्याम पिता गुलाबजी रावल एवं के आराजी नम्बर 899/2 रकबा 0.1450 कुल किता 1 कुल रकबा 0.14500 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी नंबर 1 श्री मदनलाल पिता गुलाब रावल सा. देह खातेदार के नाम खातेदारी घोषणा की जाती है तथा इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में तहसीलदार निम्बाहेड़ां अमल दरामद करें। बैंक रहन होने पर यथावत रखा जावें। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आज दिनांक 21.10.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
सहायक कलक्टर
निम्बाहेडा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2025.01.29 14:14:46 IST
Reason: SelfAttested